

राजस्थान-सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक - स 3 (7) (2) सेवानिवृत्ति/अभि/14/ 849-92

दिनांक - 16/01/2020

प्रेषित -

निदेशक, पेंशन विभाग
राजस्थान जयपुर।

विषय - दिनांक 01.07.2020 से 31.12.2020 तक सेवानिवृत्त हो रहे मंत्रालयिक
कर्मचारियों की सूची जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अभियोजन विभाग में दिनांक 01.07.2020 से 31.12.2020 की अवधि में
सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्रमांक	नाम कार्मिक मय पिता का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	अधिवार्षिक आयु प्राप्त करने की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रमेश चन्द जाटव पुत्र श्री मूलाराम	स0प्र0अ0	सहायक निदेशक अभियोजन करौली	04-07-60	31-07-2020
2.	श्री कमल सिंह मीणा पुत्र श्री घूडया मीणा	स0प्र0अ0	सहायक निदेशक अभियोजन बांरा	10-07-60	31-07-2020
3.	श्री शिवदान सिंह पुत्र श्री किशन सिंह	अ0प्र0अ0	सहायक निदेशक अभियोजन कोटा	25-07-60	31-07-2020
4.	श्री गोपाल लाल पुत्र श्री रामेश्वर	स0प्र0अ0	सहायक निदेशक अभियोजन नागीर	26-08-60	31-08-2020
5.	श्री सुरेश कुमार रावल पुत्र श्री दलीचन्द	स0प्र0अ0	सहायक निदेशक अभियोजन सिरोही	30-08-60	31-08-2020
6.	श्री रवि शंकर मेहता पुत्र श्री भैंयर लाल मेहता	अ0प्र0अ0	सहायक निदेशक अभियोजन उदयपुर	09-09-60	30-09-2020
7.	श्री चन्द्र प्रकाश माली पुत्र श्री माणक लाल	स0प्र0अ0	सहायक निदेशक अभियोजन जैसलमेर	12-10-60	31-10-2020
8.	श्री रामदेव त्रिवेदी पुत्र श्री किशन लाल	स0प्र0अ0	सहायक निदेशक अभियोजन जोधपुर	07.11.60	30-11-2020
9.	श्री हरिराम दुगरिया पुत्र श्री सरदारा	अ0प्र0अ0	सहायक निदेशक अभियोजन श्रीगंगानगर	15.11.60	30-11-2020
10.	श्री मनोहर लाल विश्‍नोई पुत्र श्री जयचन्द विश्‍नोई	वरिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक अभियोजन भीलवाडा	20-11-60	30-11-2020

— SA —
(एस.एन.व्यास)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है -

- समस्त उप निदेशक अभियोजन/सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूची का सत्यापन कर उनसे संबंधित कार्मिक के यदि सेवानिवृत्त आदेश जारी नहीं हुये हैं या ऐसा कोई कार्मिक जिसका नाम उक्त सूची में नहीं हो तो कार्मिक के विरुद्ध नियम 16 एवं 17 तथा 19 सी.सी.ए. के अन्तर्गत वर्तमान में कोई विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण, राजकीय बकाया होने/नहीं होने का प्रमाण पत्र, राजकीय आवास आवंटित होने/ न होने का प्रमाण पत्र सहित सेवा पुस्तिका के साथ सेवानिवृत्ति की दिनांक से 06 माह पूर्व प्रकरण आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाये जावे। स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले कार्मिकों के प्रकरणों में भी उक्त वर्णित तथ्यों सहित कार्मिक का स्वे. सेवानिवृत्ति लेने का कारण, तथा कार्यालयध्यक्ष की उस पर विस्तृत टिप्पणी सहित निर्धारित अवधि में इस निदेशालय को प्रेषित करें, उक्त सूचनाओं के अभाव में अधूरे प्रकरण भिजवाने अथवा देरी से भिजवाने वाले कार्यालयध्यक्षों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जावेगी।
- रक्षित पत्रावली।

Anon
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर